नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

वाद संख्या:– 137/2016 **दायरा दिनांक:– 20.06.2016**

–: अनवान :–

भागीरथ पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....वादी

बनाम

1. अन्नीदेवी उर्फ अन्नपूर्णादेवी बेवा हीराराम जाति जाट निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. शंकरलाल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता वादी
2. श्री अमित सैनी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांक:– 04/02/2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य सक्षेंप मे इस प्रकार से है कि वादी के पिता पिता स्व. हीराराम पुत्र खिराजराम जाति जाट निवासी हिन्दौर को तत्कालीन तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा रोही पीपासर के खसरा नम्बर 94 मे 8 बीघा कृषि योग्य भूमि आरजी काश्त पर सम्वत 2031 से पूर्व मे आवंटन कर कब्जा मौका पर दे दिया गया था। बाद मे उक्त टी.सी. रकबा को रोही पीपासर के ही खसरा नम्बर 94 को खसरा नम्बर 94/6 मे करके वादी पिता के नाम से खसरा नम्बर 94/6 मे दर्ज कर दिया गया परन्तु काश्त उसी रकबा पर होती रही जिसका कब्जा सर्वप्रथम दिया गया था। इस रकबा को वादी तथा वादी के पिता द्वारा कड़ी मेहनत कर इसमे से झाड़, झखाड़ निकाल कर, भारी खर्चा लगा कर किराये के ट्रेक्टरो से टिब्बो को समतल करके काश्त योग्य भूमि बनाई। उपनिवेशन विभाग समाप्त होते समय जो आरजी काश्त के रकबा थे उन सबको आराजी राज की श्रेणी मे दर्ज कर दिया गया जिससे वादी के पिता की भूमि को भी कृषि योग्य आराजी राज भूमि मे दर्ज कर दिया व यह रकबा रोही चक गोदारान के खसरा नम्बर 94/3 मे

2.024 हैक्टेयर(8बीघा) मे पैमूद कर दिया व वहीं पर पहले वादी के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के पिता स्व. हीराराम का स्वर्गवास दिनांक 22.02.2013 को हो गया। वादी स्व. हीराराम के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के नाते जो हक इस भूमि मे उनका था वही हक वादी को हांसिल है। जैसा कि राजस्थान उपनिवेशन(अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 की शर्त 4(F) मे काश्तकार(टीनेन्ट) की परिभाषा मे उसके उतराधिकारियो को भी सम्मिलित किया गया है व राजस्थान सरकार के द्वारा जारी आदेश पत्र क्रं–एफ–4(5)(16)/राजस्व/97/5325 दिनांक 15.09.2001 मे भी आदेशित किया गया है कि टी.सी. धारक टिनेन्ट की मृत्यु के बाद उसके नाम की टी.सी. भूमि उसके वारिसो को आवंटित की जा सकती है। इसी प्रकार से श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा भी दिनांक 22.10.2007 को आदेश निकाला गया है कि टी.सी. धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसो को वह टी.सी. का रकबा आवंटन किया जावे। जैरवाद रकबा स्व. हीराराम के अन्य वारिसो प्रतिवादी न. 1 व 2 ने सहमती से वादी को काश्त करने के लिए दिया हुआ है तथा यह रकबा बतौर वारिस वादी के नाम से ही दर्ज करवाने पर सहमत है। वादी का पेशा काश्तकारी है इसी गांव के जन्मजात रहने वाला है, इस 8 बीघा भूमि को अपने नाम(आराजी काश्तकार)गैर खातेदार दर्ज करवा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार है। वादी राजस्थान का मूल निवासी है तथा पेशा काश्तकारी है व रकबा और पाने की पात्रता रखता है। जैरवाद रकबा को वादी ने कड़ी मेहनत करके व भारी खर्चा लगाकर जैरवाद भूमि को काबिल काश्त किया है व पूरे परिवार का जीवन आधार एक मात्र यही रकबा है। यह रकबा वादी को नही मिला तो वर्षो की कड़ी मेहनत व लगाया हुआ खर्चा बेकार चला जावेगा व वादी के साथ भारी अन्याय होगा। इसलिए भी न्यायहित मे वाद वादी कबिल डिक्री के है। आज से 10 रोज पूर्व वादी ने श्रीमान तहसीलदार साहब सूरतगढ़ के यहां प्रार्थना पत्र लगाया था कि जैरवाद भूमि खसरा नम्बर 94/3 के 2.024 हैक्टेयर बारानी रकबा को राज के खाते मे से हटाकर वादी के नाम गैरखातेदारी जमीन दर्ज की जावे तो तहसीलदार साहब ने मना कर दिया कि वो तो यह रकबा वादी /प्रार्थी के नाम से दर्ज नही करेगे। वादी चाहे तो उचित अदालत मे वाद पत्र प्रस्तुत कर अपनी कार्यवाही कर सकते है। इसलिए तहसीलदार साहब की इन्कारी ही वाद पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य कारण है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र अनुतोष क ता ग अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी न. 1 व 2 ने हाजिर अदालत आकर अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया किया कि वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित है तथा हम प्रतिवादीगण सहमत हैं। प्रतिवादी न. 3 पैरोकार राज ने राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निर्णय करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा जिस रकबा को गैरखातेदारी घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है, वह रकबा वर्तमान रिकार्ड अनुसार रकबा राज है। जैरवाद रकबा की खसरा गिरदावरी सम्वत 2041 ता 2044, 2047 ता 2050, 2055 ता

2057 वादी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं जिसके अनुसार वादी का पिता हीराराम पुत्र खिराजराम टी.सी. आवंटी साबित होता है। जैरवाद रकबा की रकम जमा कराने की रसीदो की चित्रप्रति भी वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है जिससे भी जैरवाद रकबा वादी का टी.सी. होना साबित होता है। वादी के पिता हीराराम की मृत्यु हो चुकी है , पत्रावली में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की हुई है। हीराराम के वारिस वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 है। जैरवाद रकबा वादी ने अपने कब्जा काश्त में बताया है जिसकी सहमती भी प्रतिवादी न. 1 व 2 ने जरिये इकबालजवाबदावा दी है। वादी ने अपना कब्जा साबित करने हेतु अपना शपथ पत्र तथा दो गवाह भादरराम पुत्र भैराराम व परसाराम पुत्र इमीलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त गवाह खेत पड़ौसी है तथा इसी जैरवाद रोही में इनकी भूमि है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के साक्ष्यो से किसी प्रकार का एतराज नहीं जताया है तथा ना ही जिरह की गई है। इसलिए प्रस्तुत शपथ पत्रो से वादी का कब्जा साबित होता है। चूंकि मूल टी.सी. आवंटी हीराराम फौत हो चुका हैं परन्तु राजस्थान उपनिवेशन(अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 की शर्त 4(एफ) में काश्तकार की परिभाषा में उसके उतराधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है व राजस्थान सरकार के द्वारा जारी आदेश पत्र क्र – एफ–4(5)(16)/राजस्व/97/5325 दिनांक 15.09.2001 में भी आदेशित किया गया है कि टी.सी. धारक टिनेन्ट की मृत्यु के बाद उसके नाम की टी.सी. भूमि उसके वारिसों को आवंटित की जा सकती हैं। इसी प्रकार जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा भी दिनांक 22.10.2007 को आदेश जारी किया हुआ है जिसके अनुसार टी. सी. धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसो को वह टी.सी. का रकबा आवंटन किया जावे। चूंकि जैरवाद रकबा वर्तमान रिकार्ड अनुसार वादी के नाम से दर्ज नहीं किया जाकर रकबा राज दर्ज कर दिया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त रकबा वादी के नाम से गैर खातेदार दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ की रोही चक गोदारान के खसरा नम्बर 94/3 में 2.024 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी भागीरथ पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ को गैर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा चक गोदारान के खसरा नम्बर 94/3 में रकबा राज के खाते में से इतनी भूमि कम की जाकर वादी के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

भागीरथ पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....वादी

बनाम

1. अन्नीदेवी उर्फ अन्नपूर्णादेवी बेवा हीराराम जाति जाट निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. शंकरलाल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 207, 209, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 137 वर्ष 2016 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी भागीरथ बिश्नोई, व वकील प्रतिवादीगण न. 1 व 2 श्री अमित सैनी व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ की रोही चक गोदारान के खसरा नम्बर 94/3 में 2.024 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी भागीरथ पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ को गैर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा चक गोदारान के खसरा नम्बर 94/3 में रकबा राज के खाते में से इतनी भूमि कम की जाकर वादी के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करे।

नोज..... × ..... मुबलिग.....× ..... बाबत.....×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... × ..... फस्दो की पालना ..... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 04/02/2020 . को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.25 13:02:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: